facing genuine difficulties in finding good officers to be appointed as custodian because it is not everybody who can be appointed custodian of a sugar mill. The man must be experienced. He must have the knowledge of the working of a mill. That is why we had been requesting the State Governments where the mills are located, to give us officers on deputation. Sometimes the officers themselevs want to revert. Sometimes, on complaints we have sent them back to the State Governments. In the case of this Rai Bahadur Narain Singh Sugar Mill of Laskar, out of these eight,—two died, one while in service and the other after termination of services. Against others there were complaints and they were repatriated to the States. As I hae already said myself there is a very large number of custodians. Their turnover has been quick in some cases and that is one reason why these mills probably did not do so well as they were expected to do with the amount that the Government has been spending. There must be some continuity for a person to look after a mill. This officer in the Ajodhya Sugar Mill has been continuing for about six years. There is no fixed tenure for custodians because, as I said initially, these mills were taken over only for a period of three years. So, the period was supposed to be three years for posting, because the mills had to be returned back to them after three years, but later on when the period of take over was extended, in some cases the period of appointment, of posting, of the custodian was also extended and where we have not found anything wrong with a custodian, anything seriously wrong with a custodian, no complaints have been proved, he has been allowed to continue. In other cases we have repatriated them back to the States. *(Interruptions)*.

MR. CHAIRMAN : We have spent 20 minutes on this question. Therefore we will go to the next question, Question No. 443.

श्री राम नरेश कुशवाहा : सभापति महोदय, मैं देवरिया जिले का रहने वाला हूं . . . .

MR. CHAIRMAN : No, I cannot allow. We have already spent 20 minutes. *(Interruptions)*. Nothing will go on record. Will you please sit down? Question No. 443.

Fresh Norms for Aassistance to drought Prone areas

*443. SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ: Will the Minister of AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a committee to work out fresh norms for assistance to drought prone areas in the country;

(b) what is the likely composition of the committee;

(c) by when the committee is expected to submit its report; and

(d) whether it is a fact that the existing norms are insufficient to provide relief to the needy?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

No Committee has been set up to work out fresh norms for assistance to drought prone areas in the country. It is presumed that the hon'ble member has in mind the question of revision of norms of assistance for drought relief. For the purpose of review and revision of norms of assistance for disaster relief including droughts, an inter-ministerial committee with the following composition has been constituted by the Department of Agriculture and Cooperation on 28th May, 1985.

1.	Secretary (A&C) . .	Chairman
2.	Additional Secretary(S) .	Member
3.	Additional Secretary, Rural Development . . .	Do.
4.	Joint Secretary (Plan Finance) . . .	Do.
5.	Joint Secretary (Planning Comm.) . . .	Do.

6.	Joint Secretary, Min. of Health	Member
7.	Joint Secretary Min. of Social and Women's Welfare	Do.
8.	Joint Secretary, Min. of Works & Housing	Do.
9.	Director General (RD), Min. of Shipping & Transport	Do.
10.	Joint Secretary, Min. of Irrigation & Power	Do.
11.	Agriculture Commissioner	Do.
12.	Joint Secretary (SR &AC)	Member-Secretary

The Committee is likely to submit its report shortly.

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : सभापति महोदय यह उत्तर वैसा ही लगता है जैसे किसी से पूछा जाए कि आपके घर बच्चा हुआ है, कहे कि नहीं, दावत कब है, परसों है ? उसमें कहा गया है कि कोई नये नार्म्स तय करने के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। फिर कहा गया है कि नार्म्स रिविजन के लिए कमेटी बनाई गई है । यह तो कोई बात नहीं है । अगर रिविजन होता है तो टर्म्स आफ रेफेंस भी होंगे वह जो भी होंगे मंत्री महोदय के दिमाग में होंगे मगर इतना स्पष्ट है कि यह जो कमेटी बनाई गई है उसमें स्वीकारा गया है और यह भी स्वीकारा गया है कि यह इंटर मिनिस्ट्रीयल कमेटी है बाढ़ और सूखा राहत के सम्बन्ध में नार्म्स को रिवाइज करने के लिए, नये नार्म्स बनाने के लिए नहीं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों को बाढ़ और सूखा राहत कार्यों के लिए जितनी सहायता दी गई है उसका समुचित उपयोग हुआ है या नहीं ? यह समिति जो कुछ नार्म्स तैयार कर रही है उसमें कोई इसके लिए प्रावधान उस समिति के द्वारा किया जाएगा या नहीं ? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ।

श्री बूटा सिंह : मान्यवर, नया बच्चा तो नहीं पैदा हुआ है, पहले वाले को संवारा और सुधारा जा रहा है उसका नामकरण भी हो रहा है । आपने पूछा था नयी समिति बनी है तो हमने कहा नयी समिति नहीं, नये नार्म्स ले करने के लिए नहीं, पहले वाले नार्म्स को रिविजन करने के लिए समिति बनी है । माननीय सदस्य ने पूछा कि इसके टर्म्स आफ रेफेंस क्या है।

Sir, for the information of the hon. Member, the terms of reference of the Committee are : To review the guidelines given by the Central Government from time to time to the Central team for the managemen of disasters. To frame guidelines for scales of relief on occurrence of fire which was earlier not included as one of the disasters. Also, to review and revise the scales of Central assistance for each item connected with the disasters. To prepare a check-list on monitoring Central assistance given to the States, due to natural calamities and suggest organisational methods required for the purpose. Ways nad means for linking of Central assistance with the on-going projects and contingency plans for agricultural production with reference to inputs, alternate cropping etc.

The Committee will be submitting its report within four months.

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : मान्यवर, यह हमारा दुर्भाग्य है कि बाढ़ और सूखा दोनों स्थितियों से हम जूझते रहते है और देश के एक कोने में बाढ़ ही है तो दूसरे कोने में सूखा चलता रहता है । हमारे लिए यह एक परमानेंट चीज हो गई है, स्थायी चीज हो गई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्रों में जहां लगातार सूखा या बाढ़ वृति स्पष्ट है उसको आइडेंटीफाई करने के लिए कोई काम किया जाएगा और कोई इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी । फिर राहत के लिए रुपये न देकर हम इस तरह से कुछ करें कि उस स्थिति को नहीं आने दें जिससे राहत देने की संभावना हो । इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि जो राहत की राशि हम देते हैं केन्द्रीय

राहत की राशि हम देते है उसका सदुपयोग हो रहा है, उसी काम में वह राशि लग रही है, इसकी जांच भी केन्द्रीय सरकार की तरफ से होगी ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : सभापति महोदय, इस सिलसिले में अकालग्रस्त क्षेत्रों में जहां लंबे अरसे के लिए अकाल पड़ता है, वहां पर हमारा पहला काम यह है कि वहां सिंचाई के लिए व्यवस्था हो सके, सिंचाई की सुविधाएं जो हैं हम उनको अधिक से अधिक बढ़ाएं । 1950-51 से ले कर अभी तक सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा है । उसी के मुताबिक हर जगह क्षेत्र बढ़ता रहता है, हर योजना में इसके लिए बहुत पैसा देते हैं। इसलिए पहला प्रयास तो यह है कि अकाल न पड़े। ऐसे इलाकों में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाते हैं । कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अक्सर अकाल पड़ता है जिन्हें ड्राउट-प्रोन एरिया कहते हैं । उसके अनुसार पूरे हिन्दुस्तान में कुछ ब्लाक्स जहां अधिक अकाल पड़ता है, उनके 615 ब्लाक्स जो हैं वह निर्धारित किए गए हैं जो कि 88 जिलों में हैं और 13½ राज्यों में हैं । यह जहां पर अक्सर अकाल पड़ता रहता है वहां के लिए हर ब्लाक में जो कि पहले दिए जाते थे 15 लाख हर ब्लाक को और अब चूंकि ब्लाकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही है, अभी 104 की संख्या और बढ़ गई है, इसलिए वहां करीब-करीब 1.2 लाख के करीब प्रत्येक ब्लाक में दिया जाता है । इसी तरह से कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि रेगिस्तानी हैं ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, the answer should also be relevent, not only the qeustion.

SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR: I agree, Sir. Thank you very much. I completely agree with you. लेकिन जब यह पूछते हैं कि आपने अकाल के लिए जहां-जहां कि अकाल पड़ा है वहां के लिए क्या-क्या कार्य किए तो उत्तर लंबा हो जाता है । वैसे मेरा ख्याल है कि ड्राउट प्रोन एरिया के लिए और मरुस्थल भूमि के लिए भी कुछ कार्यक्रम बने है ।

SHRI S. W. DHABE: Sir, the question is restricted to relief for drought prone areas and not to what schemes the Government is going to have for irrigation and other purposes. May I know from the hon. Minister what is the percentage of relief which they give to the State Governments on the recommendations of the State Government? When 50 crores are asked for, only 10 or 12 crores are given. Is any percentage fixed in the norms for giving assistance to the State Governments when they make recommendations and whether the Central team which is sent there is given any guidelines to reduce the relief measures recommended or asked for by the State Government?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : ऐसा है कि (**व्यवधान**)

SHRI V. GOPALSAMY: The Member has put the question in English.

SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR: I am answering in English. Firstly, Marginal money is allotted to each State so that they could face a situation like that of drought or floods. This marginal money which was 100 crores previously for all the States has been increased to 240 crores. At the same time, as the hon. Member must be knowing, whenever such things occur, naturally a team goes there, assesses how much loss has occurred and accordingly more finance is given to each State wherever the demand is there.

श्री कैलाश पति मिश्र : सभापति महोदय, प्रश्न है बाढ़ से संबंधित, मंत्री महोदय ने जो कुछ जवाब दिया उ[illegible] इस प्रश्न का उत्तर नहीं निकलता

है । मैं एक उदाहरण के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूं, गंगा नदी उत्तर प्रदेश से जब बिहार में घुसती है तो पहला स्थान मिलता है बक्सर जहां पर कि सिराजुद्दौला के समय से किला बना हुआ है, अब वह कटने जा रहा है और कटते ही बीस लाख की आबादी पानी में चली जा रही है । क्या सरकार को इसका अनुमान है कि ऐसे खतरनाक . . . (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The question relates to drought. Please read the question: "whether it is a fact that Government propose to set up a committee to work out fresh norms for assistance to drought prone areas...." Question not allowed. Mr. Satyanarayan Reddy.

श्री केलाश पति मिश्र : बाढ़ से संबंधित है ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : बाढ़ लिखा हुआ है । हिन्दी में बाढ़ लिखा हुआ है ।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV:

SHRI KAILASH PATI MISHRA:

MR. CHIARMAN: There is a comedy of errors. The English version of the question deals with drought, and the Hindi version, I am told, deals with flood. Therefore, the question I have before me is about drought. I do not know in what language it was put originally. About floods you can put a separate question.

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV:

*Not recorded.

SHRI BUTA SINGH: Fully submitting to your ruling. we are prepared for floods also.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Shall I put my supplementary on drought or on flood?

MR. CHAIRMAN: In view of all the noise that has been made, you may put supplementaries on flood, fire, drought, everything.

श्री कैलाशपति मिश्र : सभापति महोदय, फिर तो मेरे सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Mishra, I will give you another chance.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : सर मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे कहा है कि जो रिव्यू कमेटी है, अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है । आपने यह कहा है तो इसके साथ मूल प्रश्न में "सी" में यह लिखा हुआ है—

"(d) whether it is a fact that the existing norms are insufficient to provide relief to the needy?"

यह दो चीजें है । तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जैसा आपने कहा है कि यह कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी । इसके मद्देनजर जो कुछ करना हो, वह तो करेंगे ही । इस दौरान में, जब तक रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट नही आती, इस दौरान में जहां ड्राउट एरिया है, फ्लड तो प्रश्न में था नहीं, बाद में आ गया, खासकर चन्द ही स्टेट हैं, जहां आमतौर पर ड्राउट होता है और फ्लड्स भी आते है, तो यह चंद स्टेट्स, जैसे—आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है और महाराष्ट्र भी है, यह जो ड्राउट एफेक्टेड एरिया हैं, इसके बाद आपकी सेंट्रल-टीम जाती है । आप कितने दिन में सेंट्रल-टीम भेज देते हैं और टीम की रिपोर्ट पहुचने के बाद कितने दिन में मदद देते है और कितने परसेंट देते हैं ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : ऐसा है, मैंने पहले ही इस सिलसिले में बताया कि जहां कहीं इस प्रकार की दिक्कत होती है, कोई कठिनाई होती है, चाहे वह बाढ़ हो या जहां चाहे अकाल हो, इसके लिए हमेशा राज्य सरकार के पास जो कुछ पैसा पहले से दे दिया जाता है कि ऐसी आवश्यकता हो, तो वह खर्च कर । इसके लिए पहले मैंने बताया कि 100 करोड़ दिया जाता था, अब उसे 250 करोड़ कर दिया गया है, जिससे तत्काल इस तरह की अगर कोई समस्या हो, तो उसका सामना किया जा सके और उसके लिए पैसा दिया जा सके । इसलिए हर राज्यों को रकम दी गई है, जैसे किसी राज्य को ले लीजिए, आंध्रप्रदेश को ही ले लीजिए, वहां 8 करोड़ 58 लाख पहले दिया जाता था, अब 24 करोड़ 50 लाख दिया जाता है ।

MR. CHAIRMAN: Mr. Kailash Pati Mishra, you can now put your question on flood.

श्री कैलाश पति मिश्र : सभापति महोदय, मैं पहले तो आपको बधाई देता हूं कि सरकार को आपने सुधार दिया है । मूल क्वैश्चन हिन्दी में ही था । मंत्री महोदय ने अपने जवाब में मार्जिन-मनी का उल्लेख किया है और मैं जानता हूं कि बिहार के लिए मार्जिन मनी एक साल की केवल 14 करोड़ है । अब जिस घटना का मैं उल्लेख कर रहा हूं, बक्सर का किला कट रहा है, 20 मील का बांध काट रहा है, 20 मील की आबादी पानी के अन्दर जा रही है, यह 14 करोड़ की मार्जिन मनी में आग, तूफान, बाढ़ कटाव सब लगा हुआ है, इससे व्यवस्था नहीं होने वाली है। क्या सरकार यह जो अपार क्षति हो रही है और ऐसे खतरनाक बिन्दु पर, जहां यह 18-20 लाख की आबादी पानी में चली जा रही है, उसके लिए कोई कदम उठाने जा रही है ?

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, जो हमारे पास सूचना है, बिहार राज्य से, वहां बाढ़ में 12 जिलों में नुकसान हुआ है, जिसमें 1,334 गांव प्रभावित हुए हैं, उसमें 14 प्रतिशत, 26 लाख की संख्या में पापूलेशन... **(व्यवधान)**...

श्री कैलाशपति मिश्र : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है... **(व्यवधान)**...

SHRI BUTA SINGH: Sir, I am answering the question. Kindly ask him to sit down.

MR. CHAIRMAN: Now that you have yourself accepted to widen it...

SHRI BUTA SINGH: He wants me to jump to the other end. Let me proceed in the proper manner.

Sir, after the Bihar Governmen sends a memorandum, we will examine it and decide on the Central assistance. So far as the present position is concerned, they are free to utilize their margin money. As soon as the memorandum is received we will take action on that.

श्री रुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं सवाल तो पूछना चाहता था, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जिस सरकार में ड्राऊट का हिन्दी बाढ़ होता है, उस देश की सरकार में राहत क्या होती होगी ? यह भगवान जाने मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो आपने सुखाड़ के लिए यह दिया है, अंग्रेजी राज्य की सरकार में जो सुखाड़ संहिता बनी थी, फेमीन कोड, उस सुखाड़ संहिता में आज तक किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया है, जबकि सभी कानूनों में संशोधन किया गया है, जिसके कारण सुखाड़ प्रभावित इलाके के किसानों को बहुत सी सुविधाओं से वंचित रह जाना पड़ता है । क्या सरकार उस सुखाड़-संहिता में संशोधन करके नए सिरे से, नए संदर्भ में एक सुखाड़-संहिता का निर्माण करेगी, जिससे किसानों को इसके तहत लाभ मिल सके ?